



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 मार्च, 2021

चैत्र 10, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 554/पाँच-5-2021

लखनऊ, 31 मार्च, 2021

सा०प०नि०-21

### उद्घोषणा

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी करती हैं कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य, कोविड-19 से प्रभावित है।

2-यह उद्घोषणा दिनांक 30 जून, 2021 तक या कोई अग्रतर आदेश जारी किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रवृत्त रहेगी।

आज्ञा से,  
अमित मोहन प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 554/V-5-2021, dated March 31, 2021.

No. 554 /V-5-2021

*Dated, Lucknow March 31, 2021*

### PROCLAMATION

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Diseases Control Act, 2020, the Governor is pleased to issue a proclamation declaring that the whole of the State of Uttar Pradesh is effected by Covid-19.

2. This proclamation shall continue to be in force till 30<sup>st</sup> June, 2021 or till issuance of any further order whichever is prior.

By order,

AMIT MOHAN PRASAD,

*Apar Mukhya Sachiv.*